न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0--29 / 2016--17

गायत्री देवी **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12-5-18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद गायत्री देवी, पति स्व0 सोहराई मांझी, ग्राम--मदारपुर, पो0--जटडुमरी, थाना--पुनपुन, जिला--पटना जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, अनुज्ञप्ति सं0 77 / 10 (रद्द) द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के आदेश ज्ञापांक 488(आ0) दिनांक 22.10.2016 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश--2001 की धारा--11 एवं कंडिका--15 सरकारी अधिसूचना--2007 के अंतर्गत दिनांक 15.11.2016 को दायर किया गया है। अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक 10.02.2018 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर वाद प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए अगली तिथि 27.03.2015 निर्धारित की गयी। दिनांक 12.05.2018 को निम्न न्यायालय को अभिलेख प्राप्त हुआ। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अपीलकर्ता ने अपने अपील आवेदन में अंकित किया है कि उनकी अनुज्ञप्ति सं0 77 / 10 फरवरी--2015 तक नवीकृत थी। उनकी पुत्री को यक्ष्मा रोग के ईलाज के क्रम में मृत्यु हो गयी। पुत्री के ईलाज एवं तत्पश्चात उनकी मृत्यु के कारण वे विचलित थीं, इसी कारण वे ससमय अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं करा सकी। बाद उन्होंने जुलाई--16 में अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु चालान से राशि जमा की। परन्तु मानसिक तनाव के कारण चालान की प्रति कहीं खो गयी है। उनका कथन है कि उपरोक्त बातें अपने स्पष्टीकरण में उन्होनें अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष रखी हैं एवं एक मौका देने का अनुरोध किया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनके स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया और उनकी अनुज्ञप्ति सं0 77 / 10 को रद्द कर दिया गया, जो विधि सम्मत् नहीं है। उनके द्वारा अनुज्ञप्ति को पुर्नबहाल करने का अनुरोध किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए कहा गया कि अपीलकर्ता एक गरीब, विधवा एवं अनुसूचित जाति की महिला है। उनके द्वारा परिस्थितिवश ससमय अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराया जा सका। उनके द्वारा अपीलकर्ता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश--2001, अधिसूचना सं0 601 दिनांक 15.02.2007 की कंडिका	[illegible]

2.8(ख) एवं संशोधित बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 के कंडिका–13(II) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुज्ञप्ति का नवीकरण–05 वर्षो के लिए होगा एवं अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति होने की तिथि से एक माह के भीतर अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु निर्धारित राशि कोषागार में चालान के माध्यम् जमा करने के साथ चालान की एक प्रति अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में निर्धारित अवधि के अंदर अनुज्ञप्ति नवीकरण नहीं कराये जाने पर अनुज्ञप्तिधारक को प्रति माह विलम्ब शुल्क की निर्धारित राशि जमा करने पर अधिकतम 08 माह के अन्दर अनुज्ञप्ति नवीकरण कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में अनुज्ञप्ति का नवीकरण ससमय नहीं होने पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा। इस तथ्य के आलोक में उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने अनुरोध किया गया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात, निम्न न्यायालय का आदेश एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के परिशीलन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलकर्त्ता (अनुज्ञप्तिधारक) की अनुज्ञप्ति वर्ष 2014 तक नवीकृत थी। उनके द्वारा जुलाई–16 में कोषागार चालान जमा किया गया। स्पष्ट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 एवं सम्प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के द्वारा विलम्ब शुल्क लेकर नवीकरण हेतु निर्धारित अवधि आठ वर्ष की समाप्ति के पश्चात चालान जमा किया। उक्त प्रावधान के अनुसार नवीकरण की समय सीमा समाप्ति अर्थात 08(आठ) माह व्यतीत होने के बाद अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी। इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2016 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

7/3/18	7/3/18
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।	समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।